

क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी करने वाली अंतरराज्यीय गैंग धराई

इंदौर। पुलिस द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड एवं धोखाधड़ी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड एवं मोशल मीडिया संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। क्रेडिटकार्ड डिफॉर्मेट के नाम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल कर लिंक भेजते हुए बैंकिंग जानकारी प्राप्त कर 46,600/ रु की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने संबंधित शिकायत की गई थी। आरोपियों की तकनीकी जानकारी निकालते आरोपी रितेश कुमार निवासी पश्चिम दिल्ली स्थाई निवासी बरेली उत्तर प्रदेश,कुणाल मिश्रा निवासी वेस्ट दिल्ली, जितेंद्र शौकीन निवासी नजफगढ़ न्यू दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ करते बताया कि फरियादी आवेदक रितेश एवं जितेंद्र को फर्जी कॉल करके क्रेडिट कार्ड पर रिवाई वाइड रिडीम करने के नाम से फरियादी को फर्जी वेबसाइट लिंक भेजी और उखमें बैंक डिटेल्स एवं क्रेडिटकार्ड कार्ड से 24,311 रूपाए एवं आवेदक जितेंद्र से 46,600/ रूपाए आहरित कर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से 62 सिमकार्ड, 6 मोबाइल, लैपटॉप एवं अन्य सामग्री मिली। आरोपियों ने हजारों लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देना स्वीकार किया था। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर हुए पुलिस रिमांड प्राप्त कर प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अपराध शाखा टीम के द्वारा की जा रही है।



अनमोल मुस्कान ने किया चन्की पाण्डेय और सूर्यपाल का सम्मान

इन्दौर। अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसायटी के कार्यालय पर वरिष्ठ फ़िल्म अभिनेता चन्की पाण्डेय और ट देकरला स्टोरी के पटकथा लेखक सूर्यपाल सिंह का सम्मान अद्यक्ष मुस्कान मारतीय ने किया। इस अवसर पर जय सिंह एयुवेली, सोना जैन, यशपाल जैन, आशीष तिवारी मौजूद रहे।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

इंदौर पुलिस थाना माधीनगर ने आरोपी दीपक राठौर निवासी मवानी नगर, इंदौर को पकड़ा, जिसके कब्जे से 100 वॉल्टर देशी मदिरा प्लेन, 40 वॉल्टर देशी मदिरा मसाला व 17 बीयर बॉटल कीमत लगभग 110000 रूपाए, को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

63 साल की महिला को पति ने कहा तीन तलाक

इन्दौर। बुजुर्ग महिला को उसके बुजुर्ग पति ने तीन तलाक कह दिया। उनकी दूसरी शादी थी, शादी के बाद से ही लगातार विवाद चल रहे थे। मामला सदर बाजार थाने में दर्ज हुआ है। फरियादी रम्यारामा निवासी जुना हिसाला की शिकायत पर उनके पति शकील खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है दोनों ने करीब 20 साल पहले दूसरा निकाह किया था। उनके बच्चे नहीं है। शादी के बाद से ही अनबन चल रही है। पूर्व में भी शकील के खिलाफ मारोट्ट का मामला दर्ज हुआ था। अब पत्नी ने तीन तलाक की शिकायत की है।

पब मैनेजर पर रॉड से हमला

इंदौर। विजय नगर में स्थित पब में बुधवार रात एक युवक ने पब मैनेजर पर नत्ते की हालत में हमला कर दिया। मैनेजर ने युवक को पब में घुसने नहीं दिया था। इसके चलते आरोपी ने पब मैनेजर के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। देर रात सूचना के बाद यहां पुलिस पहुंची और आरोपी युवक को लेकर थाने आ गई। पुलिस ने मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया। वह रातभर थाने में बैठा माफगी मांगता रहा। जानकारी के अनुसार विजय नगर इलाके की सतगुरु परिणय बिल्डिंग के नीचे ड्रिंक एक्सप्रेस क्लब है। रात में यहां मयंक नाम का युवक नत्ते में घुत होकर पहुंचा था। उसने मैनेजर कुणाल परमार से बहस की। इस दौरान कुणाल ने उसे मौके से भाग दिया। कुछ देर बाद युवक रॉड लेकर आया और मैनेजर के सिर पर हमला कर दिया। गिरने के दौरान कुणाल ने युवक को धक्का दिया। जिसके चलते वह गमले पर जा गिरा।

खुद को डॉक्टर बताकर हरियाणा के युवक ने टगे साढ़े सात लाख रुपए

बीएसएफ अधिकारी की बेटी के साथ ठगी

इंदौर। एरोड्रम पुलिस ने बीएसएफ के एक अफसर की बेटी के साथ ठगी के मामले में केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि करीब डेढ़ साल से मेट्रोमोनियल प्लेटफॉर्म के जरिए उग और युवती संपर्क में थे। आरोपी ने खुद को डॉक्टर बताते हुए पढ़ाई और बीमारी का बहाना बनाकर ठगी की। कुछ माह पहले उसने अपना मोबाइल भी बद कर लिया। पीड़िता ने अफसरों को मामले की शिकायत की। जिसमें जांच के बाद केस दर्ज किया गया।

प्रभारी टीआई कल्पना चौहान के मुताबिक 28 साल की निशा कुमारी निवासी अंबिकापुरी की शिकायत पर बलिनन्दर पुत्र सुभाष चंदर निवासी ढिंगसरा फतेहाबाद हरियाणा के खिलाफ

406,419,420 की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रभारी टीआई ने बताया कि निशा कुमारी ने 2022 में ऑनलाइन मेट्रोमोनियल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। इसके बाद बलिनन्दर ने उनसे संपर्क किया। उसने बताया कि वह एमबीबीएस डॉक्टर है और एमएस की पढ़ाई कर रहा है। वह उसे पसंद करता है। इसके बाद उसकी मोबाइल पर बलिनन्दर से बात होती रही। बलिनन्दर ने परिवार के बारे में भी बताया कि सभी अच्छे प्रोफेशन में हैं। बलिनन्दर की बातों में आकर निशा को उस पर भरोसा हो गया।

निशा से बलिनन्दर ने पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी की बात कही थी। जिसके बाद दोनों सोशल मीडिया के साथ ही मोबाइल पर

संपर्क में रहते थे। एक दिन बलिनन्दर ने बताया कि उसे पढ़ाई के दिक्कत आ रही है। परिवार की भी स्थिति ठीक नहीं है। जिसके बाद उसने निशा से कुछ रुपए मांगे। निशा ने शादी की बात पर भरोसा करने के चलते बलिनन्दर के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद उसने जल्द एप्रीजमेंट की बात कही। हालांकि एक दो बार परिवार में काम का बहाना बनाकर बलिनन्दर ने बात को टाल दिया। इस बीच उसने करीब 7 लाख 46 हजार रुपए अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। इतना ही नहीं बलिनन्दर ने निशा को अपनी बातों में लगाकर एप के माध्यम से उस पर लोन भी ले लिया। कुछ दिन बाद बलिनन्दर ने और रुपए की मांग की।

एमटीएच अस्पताल में बच्चों की मौत पर हंगामा

परिजन बोले-खराब दूध से मर रहे मासूम; प्रशासन ने कहा, दो बच्चों की हुई मौत

नगर प्रतिनिधि

इंदौर। महाराज तुकोजीराव होलकर महिला अस्पताल (एमटीएच) में गुरुवार को दो बच्चों की मौत पर जमकर हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और खराब दूध पिलाने का आरोप लगाया। परिजनों का तो ये भी कहना है कि इन्हीं कारणों से यहां रोज बच्चों की मौत हो रही है।

अस्पताल प्रबंधन अलग-अलग कारणों से 2 बच्चों की बात मान रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी मिलेगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हंगामे के बाद कलेक्टर और संभागायुक्त भी अस्पताल पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद प्रशासन ने कहा कि गुरुवार को पूजा के प्रीमेच्योर बेबी सहित दो नवजात की मौत हुई है। इन्हें सेप्टीसीमिया का इन्फेक्शन था। उसका वजन भी काफी कम था। उसके लॉस में दूध चला गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस की ओर से अस्पताल पहुंचे अउठ बीपी शर्मा ने बताया कि प्री मेच्योर बच्ची के अलावा एक अन्य बच्चे की निमोनिया से मौत हुई है।



अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे एडीएम अभय बेड़ेकर ने बताया एक प्री मेच्योर बच्ची की मौत हुई है। बच्ची 10 जून को जन्मी थी और कमजोर थी। उसका जन्म सात महीने में हो गया था। अन्य मौतों के बारे में जानकारी नहीं है। खराब दूध से फूड पॉयजनिंग की बात गलत है। यदि पहले किसी तरह का घटनाक्रम हुआ है तो उसे चेक कराया जाएगा। हंगामे के बाद कलेक्टर और संभागायुक्त भी अस्पताल पहुंचे।

7 दिन का रिकॉर्ड सील करके जांच हो

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के

प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि इंदौर में एमटीएच हॉस्पिटल में लापरवाही की वजह से अनेक बच्चों की मौत के आरोप कुछ परिजन लगाए हैं। प्रशासन को एमटीएच हॉस्पिटल का पिछले 7 दिन का रिकॉर्ड सील करके जांच करना चाहिए। सच सामने आना चाहिए। दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

6 दिन में 20 मौतें, कारण प्रीनेच्योर व इन्फेक्शन

इस मामले में कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा, डीन डॉ. संजय दीक्षित, सुपरिटेण्डेंट डॉ. पीएस ठाकुर, एचओडी डॉ. प्रीति मालपानी व

डाक विभाग आम जनता के लिए संचालित कर रहा बचत खाता



इंदौर। डाक विभाग इंदौर परिक्षेत्र ने डाक सेवा को जन सेवा में बदलते हुए अनेक नई सुविधाओं की जानकारी दी। विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना, बचत बैंक खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत बैंक खाता, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, समूह दुर्घटना बीमा योजना, डाक, मोबाइल पासल बुकिंग सेवा और आधार कार्ड अपडेशन का कार्य संतोषप्रद तरीके से किया जा रहा है। यह जानकारी पोस्ट मास्टर जनरल श्रीमती प्रीति अग्रवाल ने डाक कुंज सभागृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि सभी लघु बचत योजनाएं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से डाक विभाग द्वारा संचालित की जाती है एवं डाक विभाग के विशाल

नेटवर्क द्वारा समाज के अतिम व्यक्ति तक भी सर्वसुलभ है। प्रारम्भ में स्टेट प्रेस क्लब,मप्र के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल ने श्रीमती अग्रवाल का स्वागत किया।



सियागंज में भीषण अग्निकांड, तीन दुकानें जली

इंदौर। सियागंज में कल देर रात भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें तीन दुकानें जलकर खाक हो गईं। एक दुकान में एसिड फिनाइल रखा था जहां रात भर धमाके होते रहे। आग पर काबू करने के लिए जेसीबी से तोड़फोड़ भी की गई। दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रात करीब ढाई बजे सियागंज स्थित एमए गौतमपुरा वाला केमिकल दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। यहां एसिड फिनाइल और अन्य सामग्री का विक्रय होता है। यहां की आग में थोड़ी ही देर में पास

ही में स्थित फूलचंद पिता बलदेव की उत्सव चाय पती दुकान और ईश्वरदास भाईचंद की 90 साल पुरानी किराना दुकान को भी चपेट में ले लिया एसिड दुकान से रह-रहकर धमाकों की आवाजें आ रही थी। आग की जानकारी पुलिस महकमे को लेगी संयोगितागंज टीआई तहजीब काजी गश्त कर रहे एसीपी धैर्यसिंह येवले भी मौके पर पहुंच गए थे। यहां जेसीबी की मदद से कुछ तोड़फोड़ भी की गई। टीआई तहजीब काजी तो यहां खुद ही पाइप से पानी डालकर आग बुझाते भी नजर आए।

ससुर और जेट ने बनाया हवस का शिकार

इन्दौर। राजेंद्र नगर इलाके में एक युवती को उसके ससुर और जेट ने कई बार हवस का शिकार बनाया। पति ने भी पत्नी को कह दिया कि घर में रहना है तो यह सब सहना पड़ेगा। आरोपी पीड़िता पर चोरी का इल्जाम लगाकर कार्रवाई का डर दिखाते थे। पीड़िता ने परेशान होकर एक बार जहर भी खा लिया था।

राजेंद्र नगर थाने में पुलिस ने स्क्रीम नंबर103 आईडीए मल्टी तेजपुर गड़बड़ी के एक परिवार के तीन पुरुषों के खिलाफ रैप की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में एक पीड़िता का पति है, दूसरा जेट है, जबकि तीसरा ससुर है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी सास का निधन हो गया है और आरोपी ससुर ने उस पर रकम चोरी का आरोप भी लगाया और थाने में रिपोर्ट लिखवाने की धमकी दी। पीड़िता ने उससे ऐसा न करने की गुहार लगाई तो आरोपी ने उसके साथ रैप किया, इस बात की जानकारी जब उसके जेट को लगी तो उसने भी

भाई की पत्नी को हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने जेट और ससुर की हरकत के बारे में अपने पति को बात बताई तो पति ने यह कह दिया कि उन दोनों को संतुष्ट करना पड़ेगा, इसके बाद तो आरोपियों की हिम्मत और बढ़ गई और वह आए दिन पीड़िता की आबरू लूटने लगे इससे परेशान पीड़िता ने जहर खा लिया इलाज के बाद फिर उसके साथ ऐसी हरकत हुई तो उसने हिम्मत कर पुलिस को शिकायत की है।

युवक को मारे चाकू

इन्दौर। राऊ इलाके में एक युवक के साथ अड़ी बाजी और चाकू बाजी का मामला सामने आया है। बदमाश ने शराब पीने के लिए पैसे मागे। पैसा ना मिलने पर चाकू मारकर घायल कर दिया। राऊ थाने में फरियादी जितेंद्र यादव निवासी बाड़ी मोहल्ला की शिकायत पर आरोपी शक्ति मालवीय के खिलाफ पुलिस ने गंभीर चाकूबाजी और अड़ीबाजी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

InfoBeans

CREATING WOW!

InfoBeans Technologies Limited
CIN : L72200MP2011PLC025622
Registered Office : Crystal IT Park, STP-I, 2nd Floor, Ring Road, Indore (M.P.) - 452 001 IN

NOTICE OF 13th ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting (AGM) of the Members of InfoBeans Technologies Limited will be held on **Friday, July 28, 2023** at 04.00 P.M. IST through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with General Circular 10/2022 and other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/ 2023/4 dated January 12, 2023 to be read with Circular SEBI/HO/CFD/CMO2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2022 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as the "Circulars"), companies are allowed to hold AGM through VC, without the physical presence of shareholders at a common venue. Accordingly, the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the 13th Annual General Meeting (the Notice) dated 5th July, 2023.

1. In Compliance with the circulars, electronic copies of the notice and Integrated Annual Report 2022-23 have been sent to all the shareholders whose email ID's are registered with the Company Depository Participant(s). These documents are also available on the Company website <https://www.infobeans.com/investors/> and on Stock Exchange website. The dispatch of the Notice through emails has been completed on 06th July, 2023.

2. The voting period begins on 25th July, 2023 at 09:00 a.m. and ends on 27th July, 2023 at 05:00 P.M. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 21st July, 2023 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Participation of members through VC will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per Section 103 of the Act.

3. All the Shareholders informed that:

- The business as set forth in the Notice may be transacted through remote e-voting of e-voting system at the AGM.
- The cut-off date for determining the eligibility to the vote or by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be 21st July, 2023
- The remote e-voting shall be commence on 26th July, 2023 (9:00 A.M. IST)
- The remote e-voting shall end on 27th July, 2023 (5:00 P.M. IST)
- The remote e-voting module will be disabled after 5:00 P.M. IST on 27th July, 2023
- Any person holding shares in Physical form or non-individual shareholders. Who acquire shares of the Company and become a shareholder of the Company after the Notice is sent and holding shares as of the cut-off date i.e., 21st July, 2023 may obtain a login ID and password by sending at the request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if it is already registered with CDSL for remote e-voting, then they can use their existing user ID and password for casting the vote.

4. Shareholders may note that:

(i) Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the same shall not be allowed to the change it subsequently;

(ii) The facility for voting will also be made available during AGM, and those shareholders present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM.

(iii) The shareholders who have cast their voted by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their voted again;

(iv) Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility for remote e-voting or e-voting at the AGM.

5. The manner of the voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and the shareholders who have not registered their email address is provided in the Notice. The details are also available on the website of the company at <https://www.infobeans.com/investors/>

6. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 18002255533.

7. The Integrated Annual Report along with the Notice is available on the website <https://www.infobeans.com/investors/>

8. The record date for the purpose of determining entitlement of shareholders for the final dividend for the fiscal 2023 is 21st July, 2023. The payment of Dividend shall be made after the AGM, subject to the approval of the shareholder at 13th AGM.

For InfoBeans Technologies Limited
Surbhi Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Place: **Indore**
Date: **07.07.2023**

कार्यालय तहसीलदार,
तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर म.प्र.
प्रशासनिक संकुल क्रमांक-जी-10
क्रमांक/169/रीडर/2023 जूनी इन्दौर दिनांक 28/06/23
प्र.क्र/0063/अ-20/2023/2023-24

--: उद्घोषणा --:

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा ग्राम पिपन्याहना तहसील जूनीइन्दौर जिला इन्दौर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 143/645/2 रकबा 2.732 हेक्टेयर में से 0.08 हेक्टेयर पर संवीवनी कृत्तिक निर्माण किये जाने हेतु मध्यप्रदेश नग्न भूमि निर्देश निर्देश 2020 के तहत भूमि आवंटन बाबूद आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवंटित भूमि पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था/दृष्ट को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में निमत पेसी दिनांक 13/07/2023 तक प्रस्तुत कर सकता है। अतः उक्त आवंटित भूमि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आव्र दिनांक 28/06/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया।

तहसीलदार तहसील - जूनी इन्दौर म.प्र.

कार्यालय तहसीलदार,
तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर म.प्र.
प्रशासनिक संकुल क्रमांक-जी-10
क्रमांक/171/रीडर/2023 जूनी इन्दौर दिनांक 28/06/23
प्र.क्र/0055/अ-20/2023/2023-24

--: उद्घोषणा --:

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा ग्राम खजरना तहसील जूनीइन्दौर जिला इन्दौर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1185 रकबा 0.849 हेक्टेयर में से 0.08 हेक्टेयर पर संवीवनी कृत्तिक निर्माण किये जाने हेतु मध्यप्रदेश नग्न भूमि निर्देश निर्देश 2020 के तहत भूमि आवंटन बाबूद आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवंटित भूमि पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था/दृष्ट को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में निमत पेसी दिनांक 13/07/2023 तक प्रस्तुत कर सकता है। अतः उक्त आवंटित भूमि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आव्र दिनांक 28/06/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया।

तहसीलदार तहसील - जूनी इन्दौर म.प्र.

कार्यालय तहसीलदार,
तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर म.प्र.
प्रशासनिक संकुल क्रमांक-जी-10
क्रमांक/170/रीडर/2023 जूनी इन्दौर दिनांक 28/06/23
प्र.क्र/0060/अ-20/2023/2023-24

--: उद्घोषणा --:

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा ग्राम खजरना तहसील जूनीइन्दौर जिला इन्दौर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 14/1 रकबा 2.188 हेक्टेयर में से 0.08 हेक्टेयर पर संवीवनी कृत्तिक निर्माण किये जाने हेतु मध्यप्रदेश नग्न भूमि निर्देश निर्देश 2020 के तहत भूमि आवंटन बाबूद आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवंटित भूमि पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था/दृष्ट को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में निमत पेसी दिनांक 13/07/2023 तक प्रस्तुत कर सकता है। अतः उक्त आवंटित भूमि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आव्र दिनांक 28/06/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया।

तहसीलदार तहसील - जूनी इन्दौर म.प्र.

कार्यालय तहसीलदार,
तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर म.प्र.
प्रशासनिक संकुल क्रमांक-जी-10
क्रमांक/172/रीडर/2023 जूनी इन्दौर दिनांक 28/06/23
प्र.क्र/0062/अ-20/2023/2023-24

--: उद्घोषणा --:

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा ग्राम खजरना तहसील जूनीइन्दौर जिला इन्दौर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 467 रकबा 0.324 हेक्टेयर में से 0.08 हेक्टेयर पर संवीवनी कृत्तिक निर्माण किये जाने हेतु मध्यप्रदेश नग्न भूमि निर्देश निर्देश 2020 के तहत भूमि आवंटन बाबूद आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवंटित भूमि पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था/दृष्ट को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में निमत पेसी दिनांक 13/07/2023 तक प्रस्तुत कर सकता है। अतः उक्त आवंटित भूमि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आव्र दिनांक 28/06/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया।

तहसीलदार तहसील - जूनी इन्दौर म.प्र.